

प्रेस नोट दिनांक 04.10.2020

1. दिनांक 03.10.20 को वादी उ0नि0 श्री संदीप कुमार त्रिपाठी थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आलोक पुत्र राजेन्द्र सिंह नि0 मानापुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 470/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 03.10.20 को वादी उ0नि0 श्री पवन राठौर थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शंकर सोनकर पुत्र शिव प्रसाद नि0 कनीगंज थाना को0अयोध्या अयोध्या आदि 06 नफर सभी गिर0 अभि0गण द्वारा आईपीएल मैच में रूपया का सट्टा लगाकर जुआ खेलना मौके से 05 अदद मोबाइल फोन, 5900 रूपये, 01 अदद कैलकुलेटर, 02 अदद नोट बुक बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 719/20 धारा 419, 420 भादवि व 3/4 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 03.10.20 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार पाल थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राज कुमार प्रजापति पुत्र सन्तराम नि0 रूपापुर थाना रौवा लौहंगपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 13 क्वाटर देशी शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 420/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 03.10.20 को वादी श्री राम गोपाल तिवारी पुत्र देवतादीन तिवारी नि0 रामनगर धौरहरा थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश तिवारी पुत्र देवकरन तिवारी नि0 रामनगर धौरहरा थाना रौनाही अयोध्या आदि 03 नफर नाली के पानी की बात को लेकर अभि0गण द्वारा मारना पीटना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 446/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 03.10.20 को वादी उ0नि0 श्री विनय कुमार सिंह थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बिल्लू पुत्र राम किशन नि0 फजलपुर थाना कुमारगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 274/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 03.10.20 को वादी उ0नि0 श्री संजय यादव थाना को0रुदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सीताराम पुत्र भगोले नि0 फिरोजपुर मखदूमी थाना को0रुदौली अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 385/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 03.10.20 को वादी उ0नि0 श्री राम नरेश रावत थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मायाराम मल्लाह पुत्र रामराज मल्लाह नि0 मल्लाहन का पुरवा मजरे द्वारिकापुर थाना मवई अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु0अ0सं0 434/20 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।